न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

सुरतान खां

बनाम

सफी खां इत्यादि

उपस्थित

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट

आदेश

दिनांक 01 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2016 अनवान सफीखां व अन्य बनाम सुरतान खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 अप्रैल 2018 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मस्जिद की ढाणी, तहसील लोहावट के खसरा नं0 08 रकबा 90 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 464 रकबा 343 बीघा 09 बिस्वा में 1/28 वे हिस्से का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो. के प्रार्थना पत्र को हुबहु स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि रेस्पो. का प्रार्थना पत्र खारिज करने काबिल था। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा रेस्पो. के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया तथा यह कथन किया की रेस्पो. ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। मूल खातेदार जानू खां वर्षों पूर्व फौत हो चुके थे। जानू खां के फौत होने पर उक्त भूमि उनकी पत्नी नबीयत के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई तथा नबीयत ने अपने

	जीवनकाल में रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 02.09.2002 के जरिये वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पक्ष में वसीयत की थी। उस वसीयतनामा को सिविल न्यायालय में निरस्त कराये बिना रेस्पो. को इस वाद में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दू पर बिना कोई गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो किसी भी सुरत में बहाल रखने काबिल नहीं है। वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का रेवेन्यू रेकर्ड में नबीयत के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 फतेखां व मेहरदीन के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया तथा फतेहखां व मेहरदीन ने उक्त भूमि में अपना 1/28 वां हिस्सा सम्पूर्ण हिस्सा अपीलार्थी को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा बेचान कर दी, जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज किया गया। कानूनन रेकर्डड खातेदार को धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस कारण प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2018 को निरस्त किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 08 रकबा 90.13 बीघा, खसरा नंबर 464 रकबा 343.09 बीघा कुल रकबा 434.02 बीघा के 1/28 वे हिस्से के रेकर्डेड खातेदार फते खां, मेहरदीन पिसरान् कादर खां से उनका संपूर्ण हिस्सा खरीद किया जाना पाया जाता है। उक्त विक्रय विलेख की पालना में नामांतरकरण संख्या 332 दिनांक 20.12.2015 के जरिये अपीलांट का नाम राजस्व रेंकर्ड मे दर्ज किया जाना पाया जाता है।	

रेस्पो. का अपने प्रार्थना पत्र में कथन है कि वादग्रस्त आराजी गलत रूप से वसीयत के आधार पर फतेह खां के नाम दर्ज की गई। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा दिनांक 02 सितंबर 2002 से प्रकट होता है कि खातेदार नबीयत पत्नी जानू खां द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत फतेह खां, मेहरदीन पिसरान् कादर खां के नाम करवाया जाना प्रतीत होता है।

जहां तक रेस्पोडेंट्स के वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है, उनका निर्धारण विचारण न्यायालय में जरिये साक्ष्य तय होना है। तब तक कानूनन मौके पर काबिज व्यक्ति/सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 अप्रैल 2018 अपास्त किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर